



2026:AHC:17722

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

अपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 1048/2026

करन

..... आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

..... विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : राहुल सक्सेना

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री राहुल सक्सेना और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री पुनीत कुमार सिंह को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत प्रस्तुत यह जमानत याचिका अभियुक्त-आवेदक करन की ओर से इस प्रार्थना के साथ दाखिल की गई है कि उसे मुकदमा अपराध संख्या- 664/2025, धारा 137 (2), 87 भारतीय न्याय संहिता, 2023 और धारा 11/12 पॉक्सो अधिनियम, थाना पूरनपुर, जिला पीलीभीत में पंजीकृत प्रकरण में, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त-आवेदक निर्दोष है। उसे इसी मुकदमा अपराध संख्या में झूठा फंसाया गया है और वह 06.11.2025 से जेल में निरुद्ध है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि पीड़िता ने बी.एन.एस.एस. की धारा 180 के तहत दर्ज

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपने बयान में आवेदक के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। उसने कहा कि पीड़िता अपनी स्वेच्छा से आवेदक के साथ गई थी। उसने आगे कहा कि आवेदक ने उसके साथ कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए। बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के तहत दर्ज अपने बयान में, पीड़िता ने अपने कथन में मात्र यह सुधार किया है कि आवेदक उसे जबरन अपने साथ ले गया था। लेकिन उस बयान में भी उसने आवेदक के विरुद्ध यौन शोषण का कोई आरोप नहीं लगाया है। पीड़िता ने अपनी डॉक्टरी जांच कराने से इनकार कर दिया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। अतः, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का प्रबल विरोध किया है।

तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और साक्ष्यों की प्रकृति पर विचार करते हुए, मामले के गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

तदनुसार, जमानत आवेदन **स्वीकार किया जाता है।**

अभियुक्त-आवेदक **करन** को उपरोक्त मुकदमा अपराध संख्या में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि के दो विश्वसनीय प्रतिभुओं को प्रस्तुत करने पर, निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन साक्ष्यों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें भयभीत नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा नियत प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि उसे संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसे व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय जमानत निरस्त करने की कार्यवाही हेतु स्वतंत्र होगा।

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

27 जनवरी, 2026

रवि प्रकाश

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।